


3-12-19 पत्रावली पेश हुई। वकील श्रीलवादी उपखंडी
वादी को चार-चार आवाज दिलवाई गई
परन्तु वादी की तरफ से कोई अपाखिल
जारी है न्यायालय का समय समाप्त होने
को है अतः वादी की अड़म दखनी एवं अड़म
फैरनी में वाद खारिज किया गया। पत्रावली
फैरल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम
हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
जाया।


उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

